

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 162 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 मार्च 2010—चैत्र 1, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2010

क्र. 6715-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 22 मार्च 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१०

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१०.

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. धारा ३-ख का संशोधन.
३. धारा ४ का संशोधन.
४. धारा १३ का संशोधन.
५. अनुसूची-१ का संशोधन.
६. अनुसूची-२ का संशोधन.
७. अनुसूची-३ का संशोधन.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ८ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.

(२) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

धारा ३-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३-ख में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "विदेशी मदिरा पर" का लोप किया जाए;

(दो) शब्द, "बीयर" के स्थान पर, शब्द "बीयर और धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन अधिसूचित माल" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (१) में,—

(एक) प्रथम परन्तुक के खण्ड (एक) में, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" के स्थान पर, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के भाग-एक के, अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" स्थापित किए जाएं;

(दो) द्वितीय परन्तुक में, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" के स्थान पर, शब्द और अंक "उक्त अनुसूची के भाग-एक के, अनुक्रमांक-१ में यथाविनिर्दिष्ट कोयला तथा अनुक्रमांक-३ में यथाविनिर्दिष्ट लोहा तथा इस्पात को छोड़कर" स्थापित किए जाएं.

धारा १३ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा १३ में, अंक "५५" के स्थान पर, अंक और अक्षर "५५, ५५-क" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची-१ का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची-१ में,—

(एक) अनुक्रमांक १ के सामने, कॉलम (२) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"वेट अधिनियम की अनुसूची-१ में, विनिर्दिष्ट माल (उसके अनुक्रमांक ४६, ४८ और ४९ में विनिर्दिष्ट माल तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा और बीयर को छोड़कर)";

(दो) अनुक्रमांक ९ के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

- “१०. कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई). जबकि प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में सूत (काटन यार्न) के विनिर्माण के लिए किया गया हो.
११. सूत (काटन यार्न) तथा मानव निर्मित यार्न.
१२. मोटर यानों के, जिसमें दो पहियों और तीन पहियों वाले मोटर यान सम्मिलित हैं, घटक और अतिरिक्त पुर्जे. जबकि प्रवेश किसी स्थानीय क्षेत्र में, आटोमोबाइल उद्योग में निवेश के रूप में उपयोग के लिए किया गया हो.
१३. सभी प्रकार के पदत्राण (फुटवियर)/ चप्पलें और उनके स्टैप्स (जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये २५० प्रति जोड़ी से अधिक न हो).
१४. आष्टिकल वस्तुएं अर्थात्,— चश्में, धूप के चश्में, गागल्स, लैन्स तथा फ्रेम जिनमें उनकी संलग्न वस्तुएं, पुर्जे और उपसाधन सम्मिलित हैं (जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य रुपये २५० प्रति इकाई से अधिक न हो).”

६. मूल अधिनियम की अनुसूची-२ के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात्:—

अनुसूची-२ का संशोधन.

“अनुसूची-२

(धारा ४, ९ तथा १२ देखिए)

अनुक्रमांक	माल का वर्णन	कर की दर (प्रतिशत)
(१)	(२)	(३)
<b>भाग-एक</b>		
१.	लोहा तथा इस्पात जैसा कि वह केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ७४) की धारा १४ के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट है.	२
२.	एविएशन फ्यूल एवं एविएशन टर्बाइन फ्यूल.	२
३.	कोयला, जिसमें सभी प्रकार के कोक सम्मिलित हैं, किन्तु चारकोल को छोड़कर.	२
४.	बिटूमिनस मिनरल से प्राप्त कच्चा पेट्रोलियम तेल एवं कच्चा तेल.	२
५.	सिम कार्ड.	२

(१)	(२)	(३)
६.	हवाई जहाज एवं अन्य एयरक्राफ्ट्स, जिनमें सम्मिलित हैं हेलीकॉप्टर एवं सभी प्रकार के पैराशूट, वायुपोत सभी प्रकार के ग्लाइडर, सभी प्रकार की फ्लाइंग मशीन, एयरक्राफ्ट लॉचिंग गियर, उनके पुर्जे और उपसाधन.	२
७.	(१) वातानुकूलन संयंत्र (एयर कंडीशनिंग प्लांट्स), वातानुकूलक (एअर कंडिशनर) तथा अन्य वातानुकूल (एयर कंडिशनिंग) साधित्र, वातशीतक (एअर कूलर्स), रूमकूलर्स, जिसमें सम्मिलित हैं समस्त शीतलन साधित्र, उपकरण तथा साधन; (२) प्रशीतन संयंत्र (रेफ्रिजेशन प्लांट्स) तथा सभी प्रकार के प्रशीतन साधित्र (रेफ्रिजरेटिंग अप्लाइन्सेस) तथा उपकरण जिनमें सम्मिलित हैं प्रशीतक (रेफ्रीजरेटर्स), अतिहिमीकरण यंत्र (डीप फ्रीजर्स), यांत्रिक जल शीतक (मेकेनिकल वाटर कूलर्स), काफी कूलर्स, वाक-इन कूलर्स; (३) जलशीतक-सह-तापक इकाई (वाटर कूलर कम हीटर यूनिट); (४) उपरोक्त (१) से (३) तक की वस्तुओं के पुर्जे तथा उपसाधन.	२
८.	एअर प्युरीफायर्स, कपबोर्ड फ्रेशनर्स तथा डिओडोराइजर्स, चाहे वे सुगंध रहित हो या सुगंधित हो.	२
९.	चलचित्रण उपस्कर (सिनेमोटोग्राफिक इक्विपमेंट्स) जिसमें सम्मिलित हैं वीडियो कैमरा, प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) ओवर हेड प्रोजेक्टर, चित्रवर्धक (एनलार्जर), प्लेट्स तथा उसके साथ उपयोग में लाए जाने वाला कपड़ा ध्वनि अंकन (साउंड रिकार्डिंग) तथा पुनरोत्पादक उपस्कर (री-प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट्स) उनके पुर्जे और उपसाधन और लैंस, एक्सपोज्ड फिल्म, फिल्म स्ट्रिप्स.	२
१०.	कन्फेक्शनरी जिसमें सम्मिलित हैं चॉकलेट तथा सभी प्रकार के स्वीट्स, (मिठाईयां) आईस जैली, कुल्फी तथा फ्रोजन कन्फेक्शनरी, फ्रोजन, डेजर्ट, च्युइंगम, बबलगम तथा उनके सदृश अन्य, किन्तु टाफी को छोड़कर.	२
११.	कांति द्रव्य (कास्टमेटिक्स) तथा प्रसाधन सामग्री जिसमें सम्मिलित हैं (१) टेलकम पाउडर, (२) प्रिकली हीट पाउडर, तथा इसी प्रकार के अन्य मेडिकेटेड बॉडी पाउडर, (३) सभी किस्म एवं सभी प्रकार के शाल (शैम्पू), (४) बालों एवं शरीर की सफाई के सभी प्रकार के पाउडर, (५) चन्दन का तेल (सेन्डलवुड आईल), (६) रामाचोम आईल, (७) दालचीनी का तेल, (८) परफ्यूम्स, (९) सेंट्स गंध, (१०) स्नो एवं क्रीम, (११) यूडी कोलोन, सोलिड कोलोन्स, (१२) ब्युटी बॉक्सेस, (१३) फेस पैक्स, (१४) क्लीनिंग लिक्विड्स, (१५) मॉश्चराइजर्स, (१६) मेकअप की वस्तुएं (जिनमें टेलकम पाउडर सम्मिलित नहीं हैं). (१७) काम्पलेक्शन रूज, (१८) ब्लीचिंग एजेंट्स, (१९) हेयर डाईज, (२०) हेयर स्प्रेयर्स, (२१) हेयर रिमूवर्स, (२२) हेयर क्रीम्स, (२३) लिपिस्टिक्स, (२४) नेल पॉलिश एवं वार्निश, (२५) पॉलिस रिमूवर्स, (२६) आई लाइनर्स, (२७) आई लैंसेस, (२८) बॉडी डिओडोरेन्ट्स.	२
१२.	डुप्लीकेटिंग मशीनें, फोटोकापी मशीनें, रेप्रोग्रेफिक कॉपियर जिनमें सम्मिलित हैं रोनियो मशीन, डुप्लीकेटर्स एवं डुप्लीकेट प्रतियां प्राप्त करने वाले अन्य उपकरण, उनके पुर्जे और उपसाधन, उनके साथ उपयोग में आने वाले रिबन, प्लेट्स.	२

- | (१) | (२)   | (३) |
|-----|---|-----|
| १३. | घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग के विद्युत् साधित्र जिनमें सम्मिलित हैं (१) फुड प्रोसेसर जैसे मिक्सर, ग्राइन्डर, (२) ओवेन, (३) फ्राईंग पेन, (४) रोटी मेकर, (५) राईस कुकर, (६) डीप फ्रैट फ्रायर, (७) कर्ड मेकर, (८) हॉट फूड केबिनेट, (९) वाटर हीटर, जिसमें इमरसन हीटर सम्मिलित है, (१०) इलेक्ट्रिक केटली, (११) इलेक्ट्रिक नाईफ, (१२) कुकिंग रेंजेज, (१३) वॉशिंग मशीन, (१४) डिश वाशर, (१५) इलेक्ट्रिक आयरन, (१६) इलेक्ट्रिक हेयर ड्रायर, (१७) इलेक्ट्रिक हेयर रिमूवर, शेवर, (१८) इलेक्ट्रिक टाईम स्विचेज, (१९) मैकेनिकल टाईमर, (२०) वैक्यूम क्लीनर, (२१) वाटर प्युरिफायर, (२२) ड्रायर, (२३) कॉफी रोस्टिंग एप्लायन्सेस, (२४) दबाव के साथ कॉफी निर्मित करने के उपकरण जो सामान्यतः एस्प्रेसो के नाम से जाने जाते हैं, (२५) फ्लोर पॉलिशर, (२६) मसाज उपकरण, (२७) शार्पनर, (२८) वेंडिंग मशीन. | २   |
| १४. | विद्युत माल जिसमें सम्मिलित हैं रंगीन टेलीविजन सेट, खिलौने (इलेक्ट्रॉनिक) और मनोरंजन के गजेट्स (वेट अधिनियम की अनुसूची-२ के भाग-२ के अनुक्रमांक ५१ में यथाविनिर्दिष्ट सूचना तकनीकी से संबंधित माल और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सेट को छोड़कर).  | २   |
| १५. | सभी प्रकार के फ्लोर एवं वाल टाइल्स, (१) सिरेमिक टाइल्स, ग्लेज्ड फ्लोर, रूफिंग एवं वाल टाइल्स (२) (क) ग्रेनाइट ब्लॉक्स (रफ अथवा रॉ), (ख) पॉलिशड ग्रेनाइट स्लैब्स, (३) ब्लेक स्टोन, (४) मार्बल, अर्थात्—(क) मार्बल बोल्डर्स या डेले (लम्प्स), (ख) मार्बल स्लैब्स, (ग) मार्बल चिप्स, (घ) मार्बल डस्ट, (ङ) मार्बल फ्लोर टाइल्स एवं वाल टाइल्स, (च) मार्बल से बनी अन्य वस्तुएं, (५) मोजैक टाइल्स, चिप्स एवं पाउडर.   | २   |
| १६. | फ्लोर कव्हरिंग, अर्थात्—(१) कार्पेट, ड्रगेट, कालीन, गलीचे, कार्पेटरी तथा रग चाहे वे गुच्छेदार हों, पाइल किए हुए या अन्यथा हों, चाहे वे कॉटन, सिल्क, सिन्थेटिक या अन्य फाइबर से निर्मित हों, चाहे मशीन से बने हों, हाथ से बने हों या हैण्डलूम पर बने हों किन्तु इसमें जूट कार्पेट, क्वायर कार्पेट या मेटिंग, या हस्त निर्मित या हैण्डलूम निर्मित बुनी हुई दरियां तथा जमाककलम सम्मिलित नहीं हैं, (२) लेमिनेटेड, इम्प्रिगनेटेड या कोटेड मेटिंग सामग्री जैसे—लिनोलियम जिसमें पीवीसी (विनायल) सामग्री सम्मिलित है.   | २   |
| १७. | परोसे जाने के लिए तैयार फूड एवं फूड प्रिपेरेशन जिसमें इन्स्टेंट फूड सम्मिलित है (मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ की अनुसूची-१ और अनुसूची-२ के भाग-२ में सम्मिलित मालों को छोड़कर).   | २   |
| १८. | फर, फर सहित स्किन, एवं फर तथा स्किन से बनी वस्तुएं.   | २   |
| १९. | किसी भी सामग्री से बने फर्नीचर चाहे वह जुड़े हुए रूप में हों या जोड़े जाना हों या जोड़े जाने के लिए तैयार स्थिति में विक्रय किये जाते हों, और उनके पुर्जे.  | २   |

**स्पष्टीकरण.**—लॉटेड ऐंगल्स, गजेट्स, प्लेट्स, पैनल्स और स्ट्रिप्स, जिन्हें

(१)	(२)	(३)
	जोड़ने पर फर्नीचर या उपकरण बनते हों, इस मद के प्रयोजन के लिए यथास्थिति, फर्नीचर या ऑफिस उपकरण समझे जाएंगे.	
२०.	इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट को छोड़कर ग्लास, (कांच), ग्लास शीट्स एवं कांच के माल (ग्लास वेयर).	२
२१.	किचन वेयर जिसमें चीनी के बर्तन (क्रॉकरी), कटलरी, (छुरी कांटे), नॉनस्टिक वेयर, हीट रेजिस्टेन्ट कुकवेयर, केसरॉल, गैस स्टोव सम्मिलित हैं, (मध्यप्रदेश वेत अधिनियम, २००२ की अनुसूची-२ के भाग-२ के अनुक्रमांक-६ में सम्मिलित मालों को छोड़कर).	२
२२.	चमड़े के माल.	२
२३.	स्नेहक (लुब्रीकेंट्स).	२
२४.	अमद्यसारिक पानीय (नान अल्कोहोलिक बेवरेज) और उनके पाउडर्स, कन्सनट्रेट्स एवं टेबलेट्स जिसमें सम्मिलित हैं (१) फलों का रस (फ्रूट ज्यूस), फ्रूट कन्सनट्रेट, फ्रूट स्कवैश, फ्रूट साइरप (शर्बत) एवं फ्रूट कोरडाईल (उत्तेजक पेय), (२) साफ्ट ड्रिंक, (३) सभी प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स, (४) डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट या ऐसे खाद्य पेय का चूर्ण जिसमें बड़े अंश के रूप में डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट है.	२
२५.	ऑफिस मशीन, उपस्कर तथा उपकरण (इक्विपमेंट एवं ऐपरेटस) जिनमें फ्रैंकिंग, एड्रेस प्रिंटिंग, टेबुलेटिंग (सारणी यंत्र), कैश रजिस्ट्रिंग, चैक राइटिंग, अकाउन्टिंग, स्टेटिस्टिकल, इण्डेक्सिंग, पंचिंग मशीन, कार्ड पंचिंग तथा पेपर शेडिंग मशीनें एवं उपकरण सम्मिलित हैं.	२
२६.	पेंट्स, प्रलाक्षा (लेकर्स), पॉलिशेस एवं एनेमल्स जो इस अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, जिसमें सम्मिलित हैं (१) पाउडर पेंट्स, स्टिफ पेस्ट पेंट्स एवं लिक्विड पेंट्स, (२) रंग (कलर्स), (३) पिगमेंट्स जिसमें वाटर पिगमेंट्स एवं लेदर फिनिशेस सम्मिलित हैं, (४) ड्राय डिस्टेम्पर जिसमें सीमेंट बेस्ड वाटर पेंट्स, आईल बॉउण्ड डिस्टेम्पर, प्लास्टिक इमल्शन पेंट सम्मिलित हैं, (५) वार्निशेस, फ्रेंच पालिश, बिटुमिनस एवं कोलतार ब्लैक, (६) सेलुलोज प्रलाक्षा (लेकर्स), नाइट्रो सेलुलोज प्रलाक्षा (लेकर्स), क्लीयर एंड पिगमेंट्स तथा नाइट्रो सेलुलोज एन्सीलरीज, तरल (लिक्विड), सेमीसॉलिड या पेस्टी रूप में, (७) तारपीन का तेल (टर्पेन्टाईन आईल), बेल आईल, व्हाइट आईल, (८) डॉयलुएन्ट्स एवं थिनर्स जिसमें नेचुरल एवं सिंथेटिक ड्राईंग एवं सेमीड्राईंग आईल्स जैसे डबल ब्वायल्ड लिनसीड आईल, ब्लोन लिनसीड आईल, स्टैंड आईल, सल्क्युराईज्ड लिनसीड आईल, पारिला आईल, व्हेल आईल, टंग आईल सम्मिलित हैं, (९) फेकेड, इन्डोर वाल, फॉल्स सीलिंग या इन्हीं के सदृश अन्य के लिए ग्लेजियर्स पुट्टी, ग्राफिंटिंग पुट्टी, रेजीन सीमेंट, कॉकिंग कम्पाउंड एवं अन्य मास्टिक्स, पेंटर्स फिलिंग्स, नान रिफ्रेक्टरी सरफेसिंग प्रिपरेशन, (१०) सभी प्रकार के प्राइमर्स, (११) पेंटिंग्स और वार्निशिंग के उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की अन्य सामग्री जैसे पेंट ब्रश, पेंट रिमूवर्स एवं सभी प्रकार के स्टेनर्स एवं इनके सदृश अन्य सामग्री.	२

(१)	(२)	(३)
२७.	टिम्बर.	२
२८.	रेडियो, टी. व्ही. टेलीविजन कैमरे के लिए ट्रांसमिशन उपकरण, स्टिल इमेज वीडियो कैमरा एवं अन्य वीडियो कैमरा रिकार्डर्स, डिजिटल कैमरा, बेतार (वायरलेस), माइक्रोफोन, राडार उपकरण, रेडियो टेलिफोनी, रेडियो टेलीग्राफी या रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिसेप्शन उपकरण, ध्वनि विस्तारक और ध्वनिवर्धक यंत्र (एम्पलीफायर और लाउडस्पीकर) जिनका केवल ऐसे यंत्रों एवं उपकरणों में ही उपयोग होता है.	२
२९.	टायर एवं ट्यूब्स, बाईसिकल्स, ट्रायसिकल, सायकल रिक्शा एवं व्हील चेअर्स में उपयोग होने वालों को छोड़कर; एवं फ्लेप्स.	२
३०.	सभी प्रकार के वेक्यूम फ्लास्क एवं किस्में जिनमें ऐसे फ्लास्कों के रिफिल्स सम्मिलित हैं, और उष्मारोधी फ्लास्क, कन्टेनर तथा बरतन जिनमें खाद्य या पेय पदार्थों या अन्य वस्तुओं को गर्म अथवा ठण्डा रखने के लिए थर्मस, थर्मिक जग, आईस बकेट या बॉक्स, टिन एवं पात्र सम्मिलित हैं और उनके संघटक तथा उपसाधन.	२
३१.	मानव उपयोग में आने वाले वानस्पतिक, खनिज एवं अन्य उत्पादित पदार्थ, टॉनिक, फूड सप्लीमेन्ट, एपीटाइज़र, डायटिकल फूड तथा द्रव्य, गोली, चूर्ण रूप में उत्पादित अन्य सभी पदार्थ चाहे वे औषधीय मानकों के अनुरूप तैयार किए गए हों अथवा अन्यथा (इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट तथा फल, सब्जी तथा मसालों से बना अचार, पेस्ट एवं पावडर को छोड़कर).	२
३२.	टेलीकम्युनिकेशन टॉवर्स, संचार के समस्त उपस्कर जैसे प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज (पी.बी.एक्स.) तथा इलेक्ट्रॉनिक प्रायवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज (ई.पी.ए.बी.एक्स.) और उनके पुर्जे.	२
३३.	भारत में निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर.	२

**भाग-दो**

१.	(क) तम्बाकूयुक्त पान मसाला और तम्बाकू युक्त गुटका.	२५
	(ख) उपरोक्त (क) में विनिर्दिष्ट से भिन्न पान मसाला और गुटका.	१२.५
२.	(क) सिगार, चुरूट, सिगरेट और तम्बाकू एवं बीड़ी की सिगारिल्लो.	१०
	(ख) अनिर्मित तम्बाकू तथा तम्बाकू का कचरा, अन्य निर्मित तम्बाकू उत्पाद जिसमें गुड़ाकू सम्मिलित है.	२.५
३.	घरेलू उपयोग में आने वाली तरलीकृत पेट्रोलियम गैस.	६.४७
४.	प्लास्टिक से बनी पानी भण्डारण की टंकियां.	५

## भाग-तीन

१. अनुसूची-१ तथा इस अनुसूची के भाग-एक, दो तथा अनुसूची-३ में विनिर्दिष्ट माल से भिन्न सभी माल. १''

अनुसूची-३ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की अनुसूची-३ में, अनुक्रमांक ३ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

३. पिसान, आटा, मैदा, सूजी, बेसन, रवा, दलिया और चुनी. १''

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०१०-११ के लिये बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट प्रवेश कर प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, १९७६ (क्रमांक ५२ सन् १९७६) में समुचित संशोधन किए जाना प्रस्तावित हैं. कतिपय अन्य उपबंधों का युक्तियुक्तकरण करने के लिए भी अवसर का लाभ लिया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख १५ मार्च, २०१०.

राघवजी

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.”

## प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, २०१० के खण्ड-१ (२) में अधिनियम को प्रभावशील करने की तिथि अधिसूचित किये जाने के संबंध में राज्य सरकार को विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है.

डॉ. ए. के. पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.